**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**(मेदिनी पुरस्कार योजना)**

पर्यावरण एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों जैसे:- (i) पर्यावरण संरक्षण; (ii) प्रदूषण नियंत्रण; (iii) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; (iv) पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना और विकास; (v) वन संरक्षण; (vi) वन संसाधन और विकास; (vii) वन्यजीव संरक्षण; (viii) जैव-विविधता; (ix) जलवायु परिवर्तन; (x) प्रकृति और जैवमंडल रिज़र्व का संरक्षण; (xi) पर्यावरण शिक्षा; और (xii) प्रकृति और पर्यावरण संबंधी शीर्षक/विषय आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही "मेदिनी पुरस्कार योजना" को 01 अप्रैल, 2018 से आरंभ करते हुए भारतीय लेखकों से पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | - | 1,00,000/-रू. | (एक) |
| द्वितीय पुरस्कार | - | 75,000/-रू. | (एक) |
| तृतीय पुरस्कार | - | 50,000/-रू. | (एक) |
| प्रोत्साहन पुरस्कार | - | 25,000/-रू. | (एक) |

इस योजना के अंतर्गत उन्हीं पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, जो 01 अप्रैल, 2015 से लगातार पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के दौरान प्रकाशित हुई हों और जिनमें डिमाई आकार के कम से कम 100 मुद्रित पृष्ठ हों। जिन पुस्तकों को लिखने के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा चलाई गई किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो, उन पुस्तकों पर इस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहले से पुरस्कृत पुस्तकों के लेखकों की पुस्तकों पर पुरस्कार के वर्ष से अगले तीन वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा।

इस योजना के तहत कोई भी भारतीय लेखक अपनी पुस्तकें पुरस्कार हेतु विचारार्थ भेज सकता है। संबंधित लेखक कृपया अपनी प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपनी पुस्तक की 07 प्रतियों के साथ 30 सितंबर, 2018 तक निम्नलिखित पते पर भिजवा दें-

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं.पी-227, इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग रोड़, अलिगंज, नई दिल्ली-110003

दिनांक 30 सितंबर, 2018 के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी एवं प्रोफार्मा वेबसाइट http://www.envfor.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

**अवनेश शर्मा**
**संयुक्त निदेशक (राजभाषा)**
**011-24695446**

## भारत सरकार

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन करने वाले भारतीय लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :-

### 1. योजना का नाम

इस योजना का नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की **"मेदिनी पुरस्कार योजना"** होगा और यह पुरस्कार निम्नलिखित विषयों के संबंध में मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए दिया जाएगा :

(i) पर्यावरण संरक्षण;
(ii) प्रदूषण नियंत्रण;
(iii) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन;
(iv) पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना और विकास;
(v) वन संरक्षण;
(vi) वन संसाधन और विकास;
(vii) वन्यजीव संरक्षण;
(viii) जैव-विविधता;
(ix) जलवायु परिवर्तन;
(x) प्रकृति और जैवमंडल रिज़र्व का संरक्षण;
(xi) पर्यावरण शिक्षा; और
(xii) प्रकृति और पर्यावरण संबंधी शीर्षक/विषय आदि।

### 2. उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

इस योजना का उद्देश्य पैरा 1 में उल्लिखित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए भारतीय लेखकों को बढ़ावा देना है। उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय पर पुस्तकें प्रकाशित करने वाले भारतीय लेखक **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। प्रकाशक या अन्य कोई व्यक्ति अथवा संस्थान, लेखक की ओर से **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत पुरस्कार हेतु विचार करने के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तकों की प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

### 3. पुरस्कार की राशि

3.1 पुरस्कार के तौर पर प्रशस्ति-पत्र सहित चार (04) पुरस्कार निम्नानुसार दिए जाएंगे :-

| | | |
|---|---|---|
| पहला पुरस्कार | : | ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) |
| दूसरा पुरस्कार | : | ₹ 75,000/- (पचहत्तर हज़ार रूपए मात्र) |
| तीसरा पुरस्कार | : | ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रूपए मात्र) |
| प्रोत्साहन पुरस्कार | : | ₹ 25,000/- (पच्चीस हज़ार रूपए मात्र) |

उपर्युक्त पुरस्कार विजेता, मंत्रालय से कोई भी अन्य लाभ और/अथवा सहायता का पात्र नहीं होगा।

3.2 यदि, किसी वर्ष विशेष में, यह पाया जाता है कि कोई भी प्रविष्टि उपयुक्त मानक के अनुरूप नहीं है, तो पुरस्कार दिए जाने अथवा अन्यथा के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा।

4. **'मेदिनी पुरस्कार योजना' की मुख्य विशेषताएं**

4.1 यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी।

4.2 यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिनांक 01.04.2018 से आरंभ करते हुए प्रचालन में रहेगी।

4.3 पुरस्कार के लिए लगातार पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के दौरान हिंदी में मौलिक रूप में प्रकाशित पात्र पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पुस्तक में कम से कम 100 (एक सौ) मुद्रित पृष्ठ हों।

4.4 **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अपनी वेबसाइट : www.envfor.nic.in और/अथवा हिंदी और अंग्रेजी के मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में नोटिस के माध्यम से प्रविष्टियां आमंत्रित करेगा।**

5. ***मूल्यांकन समिति***

5.1. **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत विचार करने हेतु प्रस्तुत पुस्तकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली अपर सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में और पैरा 1 में उल्लिखित विषय में विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त सचिव/समकक्ष पद तक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

5.2 मूल्यांकन समिति अपनी संस्तुति सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उनके अनुमोदन अथवा अन्यथा प्रस्तुत करेगी, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.3 यदि मूल्यांकन समिति के किसी सदस्य की स्वयं की लिखी पुस्तक **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत पुरस्कार हेतु सम्मिलित हो, तो वह व्यक्ति मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं होगा/होगी।

5.4 मूल्यांकन समिति के सदस्यों के नाम और अन्य विवरण गोपनीय रखे जाएंगे।

6. **पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया**

6.1 ऐसी कोई पुस्तक जिसे भारत सरकार, किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी सांविधिक/निजी निकाय द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार, सहायिकी अथवा कोई अन्य सहायता प्रदान की गई हो, तो उस पुस्तक पर **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(क) किसी भी लेखक को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

(ख) चयनित पुस्तकों की, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर खरीद हेतु सिफारिश की जाएगी।

6.2 जिन लेखकों की पुस्तकों को **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वे इसमें भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

6.3 मूल्यांकन समिति के विचारार्थ अनिवार्यत: उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित विषय पर मूल रूप में हिंदी में लिखी गई पुस्तकों की सात (07) टंकित प्रतियां भेजी जानी अपेक्षित हैं, जिन्हें लौटाया नहीं जाएगा। तथापि, लेखक एक पुस्तक का प्रतिपूर्ति मूल्य प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी। पैरा 1 में उल्लिखित विषय के अलावा अन्य पुस्तकों के लिए किसी प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

**7. सामान्य**

7.1 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण में अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी भी **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का मूल्यांकन उन्हें उपलब्ध विशेष सुविधाओं के संदर्भ में किया जाएगा।

7.2 उक्त योजना में भाग लेने की इच्छा रखने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को 'मेदिनी पुरस्कार योजना' के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचारार्थ प्रविष्टियों को प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य अनुमति प्राप्त करनी होगी।

7.3 पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक का प्रतिलिप्याधिकार, लेखकों/प्रकाशकों के पास ही रहेगा।

7.4 पुरस्कारों के वितरण के लिए निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थानों से आने वाले पुरस्कार विजेताओं को आने और जाने के लिए द्वितीय एसी के किराए का भुगतान किया जाएगा तथा उन्हें अपने व्यय पर लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

7.5 यह योजना प्रत्येक वर्ष जारी रहेगी। तथापि, प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हुए मंत्रालय द्वारा इस योजना को जारी रखने के संबंध में समीक्षा की जाएगी।

7.6 किसी पुस्तक के चयन हेतु पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

7.7 पुरस्कारों के संबंध में मुकदमेबाज़ी, यदि कोई हो, के मामले में सुनवाई नई दिल्ली में होगी।

**7.8 यदि यह पूर्णत: अनिवार्य हो अथवा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विचार से ऐसा करना समीचीन हो तो तत्संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अथवा मंत्रालय की वेबसाइट (www.envfor.nic.in) के माध्यम से उपरोक्त किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।**

*******

# आवेदन-प्रपत्र

## मेदिनी पुरस्कार (वर्ष 2018-19)

1. पुस्तक का नाम - (हिंदी में) .....
   (अंग्रेजी में) .....
   पुस्तक का ISBN नंबर .....

2. (i) लेखक/सहलेखक का नाम - (हिंदी में).....
   (अंग्रेजी में) .....
   (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) .....
   .....
   (iii) मोबाइल नं. ..... ई-मेल (स्पष्ट अक्षरों में) .....

3. (i) प्रकाशक का नाम .....
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता .....
   .....
   (iii) प्रकाशन का वर्ष .....

4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
   यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें .....
   .....
   (ii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में किसी पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां तो वर्ष ..... एवं
   पुरस्कार का ब्यौरा .....

5. (क) आधार नं. .....
   (ख) आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें :
   (i) जहां बैंक खाता है, उस शाखा का पता (दूरभाष सहित) .....
   .....
   (ii) बैंक खाता संख्या (पूरा) .....
   (iii) आईएफएससी कोड .....

6. मैं यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि
   (i) मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... भारतीय नागरिक हूं।
   (ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है।
   (iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।

   मैं वचन देता/देती हूं कि मैं इस पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूंगा/करूंगी ।

स्थान .....

दिनांक .....

लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर .....

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।